



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 67 राँची, बुधवार,

23 फरवरी, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

4 फरवरी, 2022

संख्या-5/आरोप-1-7/2021-1362(HRMS)--भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पलामू थाना कांड संख्या-03/2021, दिनांक 11.02.2021, धारा-7(a) P.C. (Amendment Act) 2018 के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त श्री जागो महतो, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हरिहरगंज को दिनांक 12.02.2021 को वादी संतोष कुमार यादव से 7000 (सात हजार) रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं०-5785(HRMS), दिनांक 27.05.2021 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 12.02.2021 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया ।

2. श्री महतो द्वारा न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद दिनांक 31.05.2021 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया है, जिसके आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-16586 (HRMS), दिनांक 07.09.2021 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(3)(i) के तहत श्री महतो द्वारा योगदान दिये जाने की तिथि दिनांक-31.05.2021 के प्रभाव से इनका योगदान स्वीकृत करते हुए उक्त नियमावली के नियम-9(1)(क) एवं (ग) के तहत योगदान की तिथि 31.05.2021 के प्रभाव से अगले आदेश तक इन्हें पुनः निलंबित किया गया है तथा इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर निर्धारित किया गया।

3. श्री महतो द्वारा निलंबन से मुक्त करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि उनके पिताजी बुजुर्ग हैं तथा उनकी माँ हमेशा बीमार रहती हैं तथा उनके निलंबित होने के कारण बच्चों का विद्यालय शुल्क एवं घरेलू खर्च में काफी परेशानी होती है।

अतः श्री महतो द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(क) श्री जागो महतो, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हरिहरगंज, पलामू, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

(ख) श्री महतो के निलंबन अवधि का विनियमन उनके विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पलामू थाना कांड संख्या-03/2021, दिनांक 11.02.2021 में पारित अंतिम न्याय निर्णय/आदेश के पश्चात् लिया जायेगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Department	Office	Designation	Decision of the Competent Authority	Effective Date	Effect of suspension period on pension
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JAGO MAHTO (110011163087)	PERSONNEL ADMINISTRATIVE REFORMS AND RAJBHASHA DEPARTMENT	Personnel Administrative Reforms and Rajbhasha Department (RANCHI)	Under Suspension	श्री जागो महतो, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हरिहरगंज, पलामू,	04/02/2022	It will NOT be calculated for pension purposes

					सम्प्रति- निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है ।		
--	--	--	--	--	---	--	--

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
